

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारी:- जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या:- 59/2019/अपील

1 नन्दाराम

2 नानूराम

3 बंशी

पुत्रगण लादूराम समस्त जाति अहीर निवासीगण ढाणी नया कुआ तन
अरनीया तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

अपीलान्त

बनाम

1 तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर

2 हल्का पटवारी अरनियां तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

3 भू अभिलेख निरीक्षक महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

रेस्पोडेन्टस

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 24.04.2019 मु.न. 115/2018 अनुवानी
सरकार बनाम नन्दाराम द्वारा न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर

वकील अपीलांट श्री रामेश्वर लाल बिजारणिंया

निर्णय

दिनांक:-28.06.2019

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना नोटिस दिए व बिना सुनवायी का अवसर दिये मनमाने ढंग से अपना अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.04.2019 पारित किया है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय अपीलांट को कभी कोई नोटिस नहीं दिए बल्कि अपीलांट संख्या 1 नन्दाराम के नोटिस पर रामचन्द्र के बेटे के हस्ताक्षर किए हुए है जो अपीलांट संख्या 1 के पुत्र के नहीं है क्योंकि रामचन्द्र मध्यप्रदेश के इन्दौर शहर में व्यापार करता है तथा अपीलांट संख्या 2 व 3 के नाम से कभी कोई नोटिस जारी ही नहीं किया गया तथा बिना नोटिस जारी किए, बिना सुनवायी का अवसर दिये पारित किया गया। योग्य अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं में दिनांक 27.04.2018, 23.05.2018, 11.06.2018, 29.06.2018, 20.07.2018, 28.08.2018, 18.09.2018, 25.10.2018, 28.11.2018 कम्प्यूटर के प्रिन्टर से टाईप किए हुए है तत्पश्चात आदेशिका हस्तलिखित है तथा पेशी पर कम्प्यूटर से टाईप करके प्रत्येक पेशी पर प्रिन्ट निकालना असंभव है अर्थात् उक्त पेशियां एक ही दिन में लिखी हुई है। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.05.2018 को अपनी आदेशिका में भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु तहरीर जारी की, जो रिपोर्ट दिनांक 24.04.2019 तक प्राप्त नहीं हुई तथा दिनांक 24.04.2019 की आदेशिका में रिपोर्ट अप्रयाप्त है उसके बावजूद भी बिना रिपोर्ट प्राप्त हुए निर्णय पारित कर दिया। विधिक प्रावधानानुसार योग्य अधिनस्थ न्यायालय को हल्का पटवारी या भू अभिलेख निरीक्षक के बयान लेखबद्ध करके ही अपना निर्णय पारित किया जाना चाहिए था, परन्तु बिना बयान लिए ही निर्णय पारित किया गया है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय पारित करने से पूर्व इस ओर कतई गौर नहीं किया गया कि



कर रखी थी ताकि आवारा पशु फसल को नुकसान नही पहुंचा सके तथा चारागाह भूमि के किसी भी भाग पर अपीलांट का कब्जा नही रहा है न ही वर्तमान में है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर न्यायालय तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा मु.न. 115/2018 अनुवानी सरकार बनाम नन्दाराम में पारित निर्णय दिनांक 24.04.2019 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.04.2018 को प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये जाकर पत्रावली में आगामी तारीख 23.05.2018 अंकित कर दी गई। आगामी तारीख 23.05.2018 में आदेशिका में अंकित किया हुआ है कि “पत्रावली आज न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत अभियान कैम्प कोर्ट स्थल अटल सेवा केन्द्र अरनियां में पेश हुई। गैरसायल ने बावजूद नोटिस तामिल व बार-बार आवाल लगाने के उपरांत अनुपस्थित। अतः गैरसायल के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। मौके की प्रास्थिति के लिये भू-अभिलेख निरीक्षक को तहरीर जारी हो।” भू-अभिलेख निरीक्षक से उक्त रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अप्रार्थी बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहा। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में अंकित किया हुआ है कि “पटवारी हल्का रिपोर्ट व भू-अभिलेख निरीक्षक महरोली रिपोर्ट दिनांक 20.04.2018 द्वारा श्री नन्दाराम, नानूराम, बंशी पुत्रगण लादूराम जाति अहीर निवासी ढाणी नया कुआ तन अरनीया ने ग्राम अरनीयां के भूमि खसरा नम्बर 2353 रकबा 13.83 है० किस्म चारागाह में से 0.50 है० पर तारबन्दी की जाकर अतिक्रमण किया है। अतः अतिक्रमी को राजस्व ग्राम अरनीया के भूमि खसरा नम्बर 2353 रकबा 13.83 है० किस्म चारागाह में से 0.50 है० से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा सरह लगान 0.19 रूपये के 50 गुणा तावान कुल राशि 10/- रूपये से शास्ती आरोपित किया जाता है। साथ ही गैरसायल श्री नन्दाराम, नानूराम, बंशी पुत्रगण लादूराम जाति अहीर निवासी ढाणी नया कुआ तन अरनीया को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (6) के तहत दोषि सिद्ध होने पर एक माह के सिविल कारावास से भी दण्डित किया जाता है।” विद्वान अधिवक्ता ने तहरीराने बहस निवेदन किया कि अपीलांटान द्वारा मौके से अतिक्रमण हटा लिया गया है। इस सम्बंध में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 26.06.2019 में अंकित किया है कि “विचाराधीन पत्रावली सरकार बनाम कालूराम जाति कुम्हार निवासी ढाणी बीजावाली व सरकार बनाम नन्दाराम जाति अहीर निवासी अरनीयां अन्तर्गत धारा 91(6) एल.आर.एक्ट, 1956 के तहत ग्राम अरनीया के भूमि खसरा नम्बर 2344/31.50 है० व 2353/13.83 है० किस्म गै.मु.नदी व चारागाह में से 0.10 है० व 0.50 है० भूमि पर तारबन्दी कर किये गये अतिक्रमण के संदर्भ में जांच की गई। मुताबिक जांच रिपोर्टनुसार गैरसायल कालूराम पुत्र नारूराम ने खसरा नम्बर 2344 से अतिक्रमण हटा लिया है तथा सरकार बनाम नन्दाराम वगै. में गैरसायलान द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया है।” अपीलांट द्वारा अतिक्रमित भूमि की किस्म चारागाह अंकित है। चारागाह भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। चूंकि तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 26.06.2019 के मुताबिक अपीलांट द्वारा किये गये अतिक्रमण को अपीलांटान द्वारा मौके पर से हटा लिया गया है। अपीलांटान द्वारा किये गये अतिक्रमण को मौके पर से हटाये जाने की रिपोर्ट के आधार पर अपील अपीलांट आशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित



हद तक इस हिदायत के साथ निरस्त किया जाता है कि अपीलांत भविष्य में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करे।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(जय प्रकाश)
28/6/19
अति० जिला कलेक्टर, सीकर



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official